न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—312/2012 (जीसीएमएस नं. 2012/00125)

1. माफी मंदिर जी माताजी जरिये पुजारी यतेन्द्रस्वरूप पुत्र श्री जानकी लाल ब्राहम्ण निवासी सांभरलेक जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. घीसालाल पुत्र श्री किसना जाति कुमावत (कुम्हार) निवासी ईरोलाव तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री किसना जाति कुमावत (कुम्हार) निवासी ईरोलाव तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा मु. सांभरलेक जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. **श्री विवेक शर्मा अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री हनुमान प्रसाद चौधरी एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 2 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 29.06.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2012 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण संख्या 550 बाबत आराजीयात खसरा नम्बर 1400 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1401 रकबा 2 बीस्वा एवं खसरा नम्बर 1402 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा अपीलान्ट मंदिर माफी की जमीन थी उसका विधिवत नामान्तरकरण दिनांक 25.08.2004 से अपीलान्ट के हक में स्वीकार किया था जिसकी जानकारी पूर्ण रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को प्रारम से ही होने के बावजूद भी 7 वर्ष बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जो प्रथम दृष्टया ही मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर निर्णय नही देकर महान भूल की है वह आदेश निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट की धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाब में मय शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया था कि रेस्पोडेन्ट ने उपखण्ड अधिकारी के यहॉ विवादित अराजी के सम्बन्ध में खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत कर रखा है और जैर तजबीज है उसके बावजूद रेस्पोडेन्ट का यह कथन किया उक्त नामान्तरकरण दिनांक 25.08.2004 की जानकारी 07.07.2011 का 7 वर्ष बाद हुई उसे स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कतई गलत निर्णय दिया है जबकि आरआरटी 2009 पेज 432 एस सी मे स्पष्ट अभिकथन किया

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

गया है कि गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही है, इसके अलावा आरआरटी 2011 पेज 421 में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रकरण के गुणावगण के पूर्व मियाद के प्रश्न पर पृथक से निर्णय देना न्यायोचित है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही किया गया जिस कारण से अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी गौर नही किया कि नामान्तरकरण की कार्यवाही समरी प्रोसिडिंग्स है और जब कोई वाद किसी भी पक्षकार द्वारा सक्षम न्यायालय में खातेदारी की घोषणा का प्रस्तुत हो जाता है तो उसे समरी प्रोसिडिंग्स की कार्यवाही स्थगित रखी जाकर न्यायालय के आदेशों की पालना के अनुकूल इन्द्राज किया जाना न्यायसंगत है प्रस्तुत प्रकरण में नामान्तरकरण सख्या 550 दिनांक 25.08.2004 को स्वीकृत होकर खातेदारी अपीलान्ट की दर्ज है और उसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट ने उपखण्ड अधिकारी ने 7 साल बाद दिनांक 28.02.2011 को प्रस्तुत किया और अपने दावे के निर्णय से पूर्व ही प्रस्तुत अपील नामान्तरकरण के द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण को निरस्त कराने की कार्यवाही कतई गलत है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायलाय ने यह भी गौर नही किया विवाादित आराजी शाकम्बरी माताजी वाके ग्राम तेजा का बास की खातेदारी की भूमि है तथा मूर्ति शाश्वत नाबालिंग है जिसकी खातेदारी अन्य को नही दी जाता सकती, मंदिर की भूमि पर स्वतंत्र काश्त करने से टाईटल प्राप्त नही हो जाता है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2012 को निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 550 दिनांक 25.08.2004 को यथावत रखा जाकर खातेदारी मंदिर शाकम्बरी माता तेजा का बास सही स्वीकार की जावें।

अधिवकता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 2 ने कथन किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही उक्त आराजी का कृषक खातेदारी रेस्पोडेन्ट का पिता किसना था, उक्त भूमि जागीर के जमाने से अपीलान्ट के पिता की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की चली आ रही है, रेस्पोडेन्ट के पिता के पश्चात् रेस्पोडेन्ट के नाम चली आ रही है इसलिये उक्त विवादित भूमि से मांफी मंदिर माताजी से माफी रिज्यूम होने से स्वतः ही रेस्पोडन्ट के पिता खातेदार काश्तकार दर्ज हो गये जिसको नजर अन्दाज कर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के आधार पर रेस्पोडेन्ट की खातेदारी विलोपित कर जो अपीलान्ट के नाम माफी मदिर श्री शाकम्भरी माताजी का नाम जर्द किया वह सरासर कानूनी प्रावधानों के विपरित होने से नामान्तरकरण निरस्तनीय ही था।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 550 स्वीकार करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट को किसी प्रकार का विधिवत नोटिस जारी नही किया, न ही कोई साक्ष्य एवं सुनवाई का ही अवसर प्रदान किया गया इसलिये भी उक्त नामान्तरकरण प्राकृतिक न्याय के

ह0
अधीन आयुक्त
जयपुर

सहज सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय ही था। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडन्ट उक्त भूमि के राजस्थान काश्तकार अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व बुजुर्गो के समय से जागीर के जमाने से आज तक निरन्तर काबिज होकर लगान अदा करते चले आ रहे है तथा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के अनुसार केवल माफी मंदिर की ''खुद काश्त'' की भूमि पर ही लागू है जिसका भी केवल रेफरेन्स के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है परन्तु तहसीलदार ने उक्त परिपत्र का गलत अर्थ समझकर रेस्पोडेन्ट की खातेदारी अधिकार समाप्त करने में अहम कानूनी भूल की थी जो दुरूस्तीनीय ही थी। उन्होने आगे कथन किया है कि उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को पूर्ण रूप से सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय गुणावगुण पर पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिसे जाहिर होता है कि पक्षकारान के मध्य खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु सक्षम न्यायालय में नियमित वाद विचाराधीन चल रहा है जिसमें उनके खातेदारी अधिकारों का निर्धारण होने अभी शेष है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2012 के माध्यम से नियमित वाद के निर्णय तक नामान्तरकरण कार्यवाही को स्थगित रखी जाने के आदेश दिये गये है, जो विधि सम्मत प्रतीत होते है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 550 पर पारित आदेश दिनांक 25.08.2004 को निरस्त भी किया गया है जिसके फलस्वरूप वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट के नाम बहाल हुआ है जिससे वादग्रस्त आराजी के रहन, दान, बैचान इत्यादि की संभावनाऐ भी प्रतीत होती है और चूँकि अपीलान्ट माफि मंदिर है जो नाबालिंग शाश्वत है तथा पक्षकाराने मध्य मुकदमात बढ़ने की संभावना के मद्देनजर विवादित आराजी बाबत विचाराधीन नियमित वाद के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखी जाने के आदेश भी दिये जाने उचित प्रतीत होते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.05.2012 के अनुसरण में पक्षकारान के मध्य विचाराधीन नियमित वाद के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी के रहन, दान, बैचान इत्यादि नही करने हेतु पक्षकारान को पाबन्द करते हुए वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखी जाने के आदेश भी दिये जाते है।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।